संख्या-242/2016/1569/22-2-2016-17(93)/2005

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबे0-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी ग्राम सरकडी, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। बन्दी ने परनाले से पानी निकासी के विवाद में दिनांक 20.07.1984 को 10 सहअभियुक्तों के साथ डण्डे व तमन्चे से गोली मारकर बब्लू सिंह, नरोत्तम व गुलफाम नामक तीन व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-225/1984 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज/अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा दिनांक 13-10-1989 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.07.2016 तक 18 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से केस निर्णीत होने के उपरान्त फरार है तथा 07 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने परनाले से पानी निकासी के विवाद में दिनांक 20.07.84 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डण्डे व तमन्चे से गोली मारकर बब्लू सिंह, नरोत्तम और गुलफाम नाम 03 व्यक्तियोंकी निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-रामपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम सिंह (बन्दी संख्या-47476) पुत्र श्री शोभाराम निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-242/2016/1569(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-242/2016/1569/22-2-2016-17(93)/2005

दिनांक 28 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी ग्राम-सरकडी, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। बन्दी ने परनाले से पानी निकासी के विवाद में दिनांक 20.07.1984 को 10 सहअभियुक्तों के साथ डण्डे व तमन्चे से गोली मारकर बब्लू सिंह, नरोत्तम व गुलफाम नामक तीन व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-225/1984 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज/अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा दिनांक 13-10-1989 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.07.2016 तक 18 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से केस निर्णीत होने के उपरान्त फरार है तथा 07 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने परनाले से पानी निकासी के विवाद में दिनांक 20.07.84 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डण्डे व तमन्चे से गोली मारकर बब्लू सिंह, नरोत्तम और गुलफाम नाम 03 व्यक्तियोंकी निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राम सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-रामपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।